07.04.2021

पत्रावली पेश की। वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने के लिए अंकित पक्ष से तर्क करने पर संशोधित पत्रावली किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी को विभागीय पत्रावली वापस नहीं जाने से पत्रावली कोरम अभाव होने से बाद में दाखिल दफ्तर की गयी। प्रकरण में विभागीय पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली पार्श्व अग्रिम तिथि तलब होकर पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner